

दैनिक

रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

केंद्र सरकार द्वारा किसानों का विरोध करना "सही नहीं" - संजय राउत



मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध के खिलाफ प्रतिरोध को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। राउत ने कहा कि जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है वह सही नहीं है और अब तक सैकड़ों किसान घायल हो चुके हैं। "प्रदर्शनकारी पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्हें रोका जा रहा है वह सही नहीं है। अब तक 100 से ज्यादा किसान घायल हो चुके हैं और कई को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बड़ी-बड़ी जेलें बना ली हैं। जबकि किसानों पर जुल्म हो रहा है।" भारत में, पीएम मोदी

विदेश यात्रा कर रहे हैं, अमित शाह ने एक शब्द भी नहीं बोला है और कृषि मंत्री को बात करने का अधिकार नहीं दिया गया है, "राउत ने कहा। राउत ने कहा, "आज किसानों ने भारत बंद का आ'न किया है लेकिन यह संदेश पूरे देश तक नहीं पहुंचा है। एमवीए इस आंदोलन के भविष्य पर चर्चा करेगा। शिवसेना प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार संपर्क में है।" कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, जो वर्तमान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हिस्से के रूप में बिहार में हैं, ने भी विरोध का विरोध करने के लिए भारी सुरक्षा तैनात करने के लिए केंद्र की आलोचना की।

"हथियारों से लैस आतंकी डोंगरी में घुसे, आतंकियों के पास हथियार भी मौजूद हैं"

कॉल फर्जी निकला; एक व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई। मायानगरी मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में शुक्रवार को अचानक एक फोन धमकी भरा कॉल आया जिसके तत्काल बाद पुलिसकर्मी जांच में जुट गए। दरअसल, एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके बताया कि कुछ आतंकवादी डोंगरी इलाके में घुस आए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। इन आतंकियों के पास हथियार भी मौजूद हैं।

मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में शुक्रवार को अचानक एक फोन धमकी भरा कॉल आया जिसके तत्काल बाद पुलिसकर्मी जांच में जुट गए।

दरअसल एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके बताया कि कुछ आतंकवादी

डोंगरी इलाके में घुस आए हैं और उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। इन आतंकियों के पास हथियार भी मौजूद हैं।

पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करने वाले ने बताया कि हथियारों से लैस कुछ आतंकवादी मुंबई के डोंगरी इलाके में घुस आए हैं और



उन्हें पुलिस की मदद की जरूरत है। जिसके तत्काल बाद पुलिसकर्मी जांच में जुट गए और यह कॉल

फर्जी निकला। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

गोखले ब्रिज 25 फरवरी को आंशिक रूप से खुलेगा

मुंबई: बीएमसी अब छह समय सीमा विस्तार के बाद 25 फरवरी को अंधेरी के गोखले पुल के एक तरफ को खोलने के लिए तैयार है। इस आश्वासन के बावजूद, स्थानीय निवासियों को मानसून से पहले पूरे पुल को खोलने के अपने वादे को पूरा करने की बीएमसी की क्षमता पर संदेह है, क्योंकि चरण 2 का काम अभी भी पूरा होने का इंतजार है। पुल के आंशिक उद्घाटन में देरी के अलावा, निवासियों ने असमान और संकीर्ण रास्तों का हवाला देते हुए, गोखले पुल पर पैदल यात्रियों की पहुंच पर असंतोष व्यक्त किया है। बीएमसी के आश्वासन के बावजूद, फुटपाथ की चौड़ाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, पुल के विभिन्न हिस्सों में विसंगतियां देखी गई हैं। बीएमसी प्रमुख को संबोधित एक पत्र में, निवासियों ने गोखले पुल पर अपर्याप्त फुटपाथ

आकार और संकीर्ण पहुंच बिंदुओं पर प्रकाश डाला। 40 से अधिक निवासियों और कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित पत्र में



सुरक्षित और सुविधाजनक पैदल यात्री आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। निवासियों ने विशिष्ट मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें रास्तों की असमान चौड़ाई भी शामिल

है - पश्चिम में तीन लोगों की चौड़ाई, रेलवे लाइनों के पार मुश्किल से दो लोगों के बैठने की जगह, और पूर्व की ओर रैंप पर केवल एक व्यक्ति की चौड़ाई। इसके अतिरिक्त, फुटपाथ और रेलवे पुल के बीच दीवारों की ऊंचाई के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं, जो तंग और असुविधाजनक वातावरण में योगदान करती हैं। इसके अलावा, निवासियों ने पुल की बाहरी दीवार पर पैदल यात्री सीढ़ियों के लिए जगह की कमी पर चिंता व्यक्त की, जिससे पश्चिम की ओर अंधेरी स्टेशन रोड तक पहुंच में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रस्तावित योजनाओं के बावजूद, निवासियों ने ऐसे बुनियादी ढांचे के लिए प्रगति या प्रावधानों की कमी देखी।

बीएमसी 1,500 करोड़ की सफाई परियोजना के लिए ठेकेदार करेगी नियुक्त...

मुंबई: बीएमसी जल्द ही झुगियों में कचरा संग्रहण और सार्वजनिक शौचालयों और नालियों की सफाई सहित सभी कार्यों के लिए एक ठेकेदार नियुक्त करेगी। नगर निकाय अगले चार वर्षों में मलिन बस्तियों की सफाई पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च करेगा। वर्तमान में, घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य गैर-लाभकारी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देशों के बाद, नागरिक अधिकारियों ने हाल ही में शहर में, विशेषकर मलिन बस्तियों में स्वच्छता उपायों में सुधार के लिए गहन सफाई अभियान शुरू किया है। शहर की लगभग 50% आबादी स्लम इलाकों में रहती है। हालांकि, एक नागरिक अधिकारी ने कहा कि स्लम क्षेत्रों में नियुक्त गैर सरकारी

संगठन उन्हें साफ रखने में विफल रहे हैं। इसलिए बीएमसी ने झुगियों में सभी सफाई कार्यों के लिए एक ठेकेदार नियुक्त करने का विचार रखा है। काम में लापरवाही की स्थिति में ठेकेदार जिम्मेदार होगा। वह कचरा संग्रहण, गलियों और सड़कों के साथ-साथ सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए अकेले जिम्मेदार होंगे। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मलिन बस्तियों में घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए अधिक जनशक्ति लगाई जाए। हर मानसून के दौरान नाले उनमें फंके गए कचरे और अन्य तैरने वाली सामग्री के कारण जाम हो जाते हैं। इसलिए उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे जल निकासी प्रणालियों को साफ करें, ताकि वे अवरुद्ध न हों। निविदा जल्द ही आमंत्रित की जाएगी, "एक नागरिक अधिकारी ने कहा।



राष्ट्रीय सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग 31 से गिरकर 37 हो गई क्योंकि कूड़े के स्रोत पृथक्करण में शहर का प्रदर्शन खराब रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम अधिकारियों को रैंकिंग सुधारने की चेतावनी दी और कहा कि शहर में स्वच्छता अभियान का असर दिखना चाहिए।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

चुनावी चंदे में पारदर्शिता और सुधार का अवसर...

सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ ने देश में चुनावी चंदे में आवश्यक पारदर्शिता लाने वाला निर्णय सुनाते हुए छह वर्ष पुरानी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। उसने अपने निर्णय में कहा कि यह बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में

निहित सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने खुले और पारदर्शी शासन और सूचनाओं तक मतदाताओं की पहुंच के मूल्यों को बरकरार रखा है। चुनावी चंदे का यह गोपनीय तरीका इनका उल्लंघन कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक जो इन बॉन्ड को जारी करने के लिए अधिकृत सरकारी बैंक है, उसे 12 अप्रैल, 2019 (जब इस विषय में अंतरिम आदेश पारित हुआ था) से अब तक जारी और खरीदे गए बॉन्ड का पूरा ब्योरा भारतीय निर्वाचन आयोग को देना होगा। निर्वाचन आयोग को छह मार्च से 13 मार्च के बीच यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। जिन चुनावी बॉन्ड की 15 दिन के भीतर की वैधता है उन्हें वापस लौटाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 के वित्त अधिनियम के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 (3) के बारे में जो टिप्पणी की वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह धारा कंपनियों के राजनीतिक अंशदान के बारे में है। धारा 182 (3) के तहत ऐसे अंशदान को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए, यह नकद नहीं होना चाहिए और इसकी जानकारी नफा-नुकसान खाते में दी जानी चाहिए। वर्ष 2017 के संशोधन ने वह सीमा हटा दी थी जिसके तहत पिछले तीन वर्ष के मुनाफे का 7.5 फीसदी दान दिया जा सकता था। संशोधन ने इसका प्रकटीकरण करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया। न्यायालय ने सवाल उठाया कि राजनीतिक दलों को असीमित कारोबारी फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और उसने काले धन पर नियंत्रण के मामले में चुनावी बॉन्ड की क्षमता पर भी संदेह जताया।

उसने यह संकेत भी दिया कि यह संशोधन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 (सी) के साथ सुसंगतता में पेश किया गया जो राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से हासिल अंशदान का खुलासा करने से छूट देती है। मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पाया कि 2020-21 में सत्ताधारी दल समेत सात राष्ट्रीय दलों की आय का 66 फीसदी हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आया। इस आय में चुनावी बॉन्ड का हिस्सा 83 फीसदी था। सच यह है कि चुनावी बॉन्ड ने राजनीतिक चंदे को लेकर अस्पष्टता बढ़ाई है। मौजूदा कानूनों के तहत राजनीतिक दलों के लिए 20,000 रुपये से अधिक के चंदे का खुलासा करना जरूरी है। इस सीमा की वजह से ही बड़े चंदे को छोटे-छोटे रूप में बांटकर किया जाता है। राजनीतिक दलों के स्वतंत्र अंकेक्षण की व्यवस्था के अभाव में इन खुलासा नियमों से पार पाना आसान है। वर्ष 2013 में सरकार ने इलेक्टोरल ट्रस्ट स्क्रीम पेश की थी जिसकी मदद से गैर लाभकारी कंपनियों को ऐसी संस्थाएं स्थापित करनी थीं जो अन्य कंपनियों और लोगों से धन जुटा सकें और उन्हें राजनीतिक दलों को वितरित कर सकें। इन प्रकटीकरण मानकों के लिए न्याय स्थापित करने वाली मूल कंपनी की घोषणा की भी आवश्यकता नहीं है। चुनी हुई गुमनामी पर सवाल उठाते हुए तथा यह सुझाते हुए कि कंपनियों के पास व्यक्तियों की तुलना में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की अधिक क्षमता होती है, अदालत ने इशारा किया कि राजनीतिक चंदे से संबद्ध कानूनों में जल्दी सुधार की आवश्यकता है। किसी भी लोकतंत्र में जहां पैसा राजनीतिक सफलता का वाहक है वहां यह जरूरी है। चुनाव प्रचार के लिए दानराशि से संबंधित कानून शायद कभी भी खामी रहित न हों लेकिन चुनाव आयोग को चुनावी चंदे के नियमों को पश्चिमी लोकतंत्रों के उत्कृष्ट मानकों के अनुरूप करने का यह अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।

+91 99877 75650

editor@rokthoklehaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

घाटकोपर मे आराध्या एडु-हेल्थ केयर सेंटर, अस्पताल का उदाघटान संपन्न!

राष्ट्रसंत परमगुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज व राज्य उपमुख्यामंत्री देवेन्द्र फड़नाविस के हाथों

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) घाटकोपर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र की जनता की आरोग्य सुविधा को ध्यान में रखकर स्थानीय भाजपा विधायक पराग भाई शाह ने आरोग्य के क्षेत्र में कोरोना कोविड -19 से प्रेरित होकर निस्वार्थ भाव से सच्ची मानव सेवा करने के लिए आराध्या एडु-हेल्थ केयर सेंटर, आराध्या वन की स्थापना किया है। जिसका उदाघटान आज 14 फरवरी को सुबह 10 बजे राष्ट्र संत परमगुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहेब वराज्य उपमुख्यामंत्री देवेन्द्र फड़नाविस के हाथों आराध्या एडु-हेल्थ केयर सेंटर, आराध्या वन अस्पताल का उदाघटान संपन्न हुआ। उपरोक्त अवसर पर सांसद मनोज कोटक, विधायक पराग भाई शाह,



रामकादम पूर्व सांसद किरोट की उपस्थिति में हुआ। कहा जाता है की इस अस्पताल के खुलने से बहुत हद तक राजावडि अस्पताल का मरिजो का भार कम हो जायेगा। वहीं भाजपा विधायक पराग शाह ने प्रसार मध्यामो के जरिये कहा की मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता आरोग्य सुविधा के लिए बगैर किसी संकोच के अपना इलाज करवा सकती है। मुंबई में बड़े पैमाने

के लिए कुल 12000 वर्ग फुट की 3 मंजिलें निःशुल्क दी गई हैं, आराध्या डायलिसिस सेंटर में 28 डायलिसिस मशीनें हैं जो 24 घंटे और 365 दिन चालू रहती हैं। साथ ही रक्त संग्रहण में उन्नत गतिविधियाँ क्रियान्वित की गई हैं। दूसरी ओर थैलेसीमिया सेंटर में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है। इससे मरीजों को उचित सुविधाएं मिलेंगी। उपरोक्त गतिविधियां समर्पण संस्था, रोटरी क्लब, लायंस क्लब के सहयोग से की जाएंगी। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, भाजपा/ शिवसेना नगरसेवक एवं अन्य गणमान्य नागरिक एवं समर्पण संस्थाओं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब के पदाधिकारी एवं अनेक स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

बीएमसी के मार्वे-मनोरी प्लाईओवर को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा



मुंबई : कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बीएमसी ने मार्वे को मनोरी से जोड़ने के लिए एक प्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि, इस परियोजना को स्थानीय मछुआरा समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा है। नागरिक निकाय ने सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिसके दौरान निवासियों ने चिंता व्यक्त की कि यह पहल मार्वे, मनोरी और गोरार्ड क्षेत्रों में किसानों और मछुआरों की स्थानीय पारिस्थितिकी और पारंपरिक आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

बीबीएमसी ने मनोरी क्रीक तक फैले एक पुल के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित पुल की लंबाई 410 मीटर होने का अनुमान है, जिसमें तीन मुख्य खंभे रणनीतिक रूप से 105 मीटर, 210 मीटर और 105 मीटर के अंतराल पर स्थित होंगे। संरचना को उच्च ज्वार के दौरान समुद्र

तल से 11 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई के लिए डिजाइन किया गया है। स्थानीय हितधारकों को सूचित रखने के लिए, नागरिक निकाय ने पुल परियोजना पर एक व्यापक प्रस्तुति आयोजित की। यह प्रस्तुति विशेष रूप से मार्वे, मालवानी और मनोरी क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय मछुआरों के समुदाय के सदस्यों के लिए निर्देशित थी। एक कार्यकर्ता गॉडफ्रे पिमेंटा ने कहा, "प्रस्तावित पुल, रो-रो जेट्टी, अलवणीकरण संयंत्र के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। उसी क्षेत्र में एक अलवणीकरण संयंत्र भी प्रस्तावित किया गया था। हमें डर है कि प्रस्तावित पुल से मनोरी, कुलवेम और गोरार्ड के गोथानों में मकान ध्वस्त हो जाएंगे क्योंकि वर्तमान में यहां सिंगल लेन सड़क है। बीएमसी को पहले इन गांवों में अस्पताल, स्कूल, पेयजल आपूर्ति और अच्छी सड़कें जैसी नागरिक अधिकारी ने कहा।

21 फरवरी को खुलेगा जूनिपर होटल्स का आइपीओ

मुंबई : जुनिपर होटल्स लिमिटेड ("कंपनी") एक लक्जरी होटल विकास और स्वामित्व कंपनी है, और 30 सितंबर, 2023 तक भारत में "हयात" से संबद्ध होटलों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी मालिक है। इसने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव ("आईपीओ" या "निर्गम") के लिए प्रति इक्विटी शेयर का मूल्य बैंड 342 से 360 निर्धारित किया है। कंपनी का निर्गम बुधवार, 21 फरवरी, 2024 को बोली के लिए खुलेगा और शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024 को बंद होगा। निवेशक न्यूनतम 40 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 40 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं।

यह निर्गम पूरी तरह से 18,000.00 मिलियन तक के नए निर्गम का है जिसमें बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस निर्गम के माध्यम से जुटाई जाने वाली कुल शुद्ध आय में से कंपनी अपनी और सहायक कंपनियों, अर्थात् दिल्ली रेजिडेंसीज, हयात रीजेंसी चार्टर्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार्टर्ड हम्पी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधार के पूर्ण या आंशिक पुनः भुगतान / पूर्व भुगतान के लिए 15,000.00 मिलियन तक का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है।



कंपनी का प्रचार सराफ होटल्स लिमिटेड और उसके सहयोगी, जुनिपर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और टू सीज होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो एक वैश्विक आतिथ्य कंपनी, हयात होटल्स कॉर्पोरेशन की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है। यह कंपनी सात होटलों और सर्विस्ड अपार्टमेंट को मिला कर एक पोर्टफोलियो का स्वामित्व और प्रबंधन करती है और 30 सितंबर, 2023 तक भारत में कुल 1,836 "हयात" संबद्ध होटलों को संचालित करती है। इसके होटल और सर्विस्ड अपार्टमेंट को तीन अलग-अलग खंडों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, लक्जरी - ग्रैंड हयात मुंबई होटल एंड रेजिडेंस और अंदाज दिल्ली; ऊपरी अपस्केल - हयात दिल्ली रेजिडेंसीज, हयात रीजेंसी अहमदाबाद, हयात रीजेंसी लखनऊ और हयात रायपुर; और उच्च स्तरीय - हयात प्लेस हम्पी। प्रमुख निजी निवेशकों के स्वामित्व वाले होटलों में मुंबई और नई दिल्ली में ऊपरी स्तरीय ब्रांडेड सर्विस्ड अपार्टमेंट की सबसे बड़ी कुल इन्वेंट्री है।



सरकार के दावे को चुनौती देने वाली केन्द्र की याचिका हाई कोर्ट ने बहाल की...

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन राजस्व मंत्री के नवंबर 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को बहाल कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार को मुंबई के कांजुरमार्ग में विभिन्न नमक पैन का मालिक घोषित किया गया था किेंद्र की याचिका, जो सितंबर 2020 में दायर की गई थी, को उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने 17 जनवरी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि केन्द्र सरकार की ओर से याचिका दायर करने वाले उप नमक आयुक्त ने कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं और इसलिए उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे आगे बढ़ाने में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी याचिका को बहाल करने की मांग करने वाली केन्द्र की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए शर्तों के अधीन याचिका को बहाल कर दिया। न्यायमूर्ति संदीप मांने ने 12 जनवरी को कहा, "रिट याचिका आज से चार सप्ताह के भीतर



कार्यालय की आपत्तियों को हटाने की शर्त के अधीन बहाल की जाती है।' केन्द्र को अब कार्यालय की आपत्तियों को दूर करना होगा जिसका अर्थ है कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ विभागीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों को सुपाद्य बनाया गया है। केन्द्र ने दावा किया कि याचिका जल्दबाजी में खारिज कर दी गई। याचिका बड़ी है और संबंधित दस्तावेज या तो पुराने हैं या पढ़ने में नहीं आते या हस्तलिखित हैं। इसलिए उन दस्तावेजों को टाइप करने में समय लगता था, उन्होंने कहा कि कार्यालय

की अन्य आपत्तियों को पहले ही दूर कर दिया गया था। जोरू बथेना द्वारा एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि केन्द्र और राज्य वहां मुकदमेबाजी शुरू कर रहे हैं जहां कोई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मेट्रो रेल डिपो के लिए जमीन मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को सौंप दी जानी चाहिए। हस्तक्षेप याचिका का केन्द्र ने विरोध किया कि हस्तक्षेपकर्ता की भूमिका बाद में आती है। केन्द्र ने मई 2018 में कोंकण संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके आधार पर तत्कालीन राजस्व

मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने 2018 में भूमि स्वामित्व पर आदेश पारित किया था राजस्व मंत्री के आदेश के बाद, 1 अक्टूबर, 2020 को, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के तहत तत्कालीन मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर ने मेट्रो कार शेड परियोजना के लिए 102 एकड़ कांजुरमार्ग नमक पैन भूमि को एमएमआरडीए को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। 2019 में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने उपनगरीय आरंभ मिल्क कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने की योजना की घोषणा की। एमवीए ने 2020 में योजना को रद्द कर दिया और मेट्रो लाइन 3 (कोलाबा-बांद्रा-एसईईपीजेड), मेट्रो लाइन 4 (कासारवाडवाली-वडाला) और मेट्रो लाइन 6 (लोखंडवाला-विक्रोली) के लिए कार शेड और एक इंटरचेंज स्टेशन के लिए कांजुरमार्ग भूमि की मांग की। हालांकि, 16 दिसंबर, 2020 को उच्च न्यायालय ने मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 1 अक्टूबर, 2020 के भूमि हस्तांतरण आदेश पर रोक लगा दी।

हमें चिंता नहीं करनी है... शरद पवार ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की

मुंबई: शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि उनके द्वारा स्थापित एनसीपी आम लोगों की पार्टी है भले ही वह आज कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन किसी को भी सामने आई चुनौतियों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए. शरद पवार ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें एकजुट रहने और राज्य की छवि सुधारने की दिशा में काम करने की जरूरत है. शरद पवार का यह बयान विधानसभा स्पीकर राहुल नावेंकर द्वारा अजित पवार के गुट वाले विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाए जाने से कुछ घंटे पहले आया जब वह मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार की युवा महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

शरद पवार ने कहा कि "25 साल पहले इसी हॉल में एनसीपी बनाने का निर्णय किया गया था और राज्य भर में लाखों कार्यकर्ता इस मुद्दे का समर्थन करने के लिए आगे आए. एनसीपी आम लोगों की पार्टी है. आज इसे चुनौतियों का सामना करना पड़



रहा है लेकिन आपको और मुझे इन चुनौतियों से परेशान नहीं होना चाहिए. हम एकजुट रहेंगे. हम ऐसे निर्णय लेंगे जिससे अगली पीढ़ी को फायदा होगा.

शरद पवार ने कहा कि पार्टी के गठन के तीन महीने के भीतर ही इसे महाराष्ट्र में शासन करने की जिम्मेदारी मिली थी. उन्होंने कहा कि पार्टी के युवा नेता बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं जो अगले पांच वर्षों तक राज्य में आम लोगों के मुद्दों पर काम कर रहे हैं. बता दें कि एनसीपी को पिछले साल जुलाई में विभाजन का सामना करना पड़ा जब अजित पवार कुछ विधायकों के साथ सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे. हाल ही में निर्वाचन आयोग ने अजित पवार के गुट को असली एनसीपी करार दिया है.

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष बोले- अजित पवार गुट को असली NCP घोषित करना "असंवैधानिक" नहीं

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने गुरुवार को डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी घोषित करने के अपने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि फैसले में कोई भी रुख "असंवैधानिक" या "मनमाना" नहीं है। निर्णय लेने के एक दिन बाद मीडिया से बातचीत करते हुए, राहुल नावेंकर ने कहा, "यह निर्णय बहुत स्पष्ट है। निर्णय की एक प्रति पार्टियों को प्रदान की गई है। इस निर्णय में कोई भी स्टैंड असंवैधानिक या मनमाना नहीं है। स्टैंड को उचित ठहराया गया है। कारण जैसा कि कहा गया है। इसलिए, मुझे लगता है कि इस तरह के तर्कसंगत और उचित निर्णय का और अधिक विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

हालांकि, महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले की शिवसेना के यूबीटी गुट ने आलोचना करते हुए इसे कॉमेडी शो करार दिया है. "हास्य जात्रा प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र चैनल पर चलता है, यह बहुत ही मजेदार कॉमेडी है, हम सभी इसे देखते हैं। राहुल नावेंकर ने हास्य जात्रा का एक नया एपिसोड लिखा है, असली शिव सेना जो बाला साहेब ठाकरे की है, उन्होंने इसे एकनाथ शिंदे को दिया था।" शरद पवार साहब, जो अभी भी सत्ता में हैं, ने अपनी पार्टी अजित पवार को दे दी



और लोग हंस रहे हैं। यह एक व्यंग्य है, यह हंसी का विस्फोट है" संजय राउत यूबीटी सेना नेता ने कहा। इससे पहले, चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न भी आवंटित किया था। नावेंकर ने माना कि वोट शेयर के बारे में अजित पवार का दावा शरद पवार गुट द्वारा विवादित नहीं है, और विधायी बहुमत का मामला भी निर्विवाद है। नावेंकर ने जून 2023 में पार्टी में विभाजन के बाद विधायकों को अयोग्य घोषित करने की शरद पवार और अजित पवार गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया। यह फैसला देते हुए कि यह राकांपा पार्टी से दलबदल नहीं है, अध्यक्ष ने कहा कि अजित पवार और अन्य (अजित पवार का समर्थन करने वाले विधायक) के कार्य और "30 जून

से 2 जुलाई के बीच दिए गए बयान पार्टी के अंदर असहमति थे।" इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की मांग करने वाली शरद पवार गुट की याचिका पर अंतिम आदेश पारित करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर के लिए 15 फरवरी तक का समय बढ़ा दिया था। 6 फरवरी को, चुनाव आयोग ने विधायी शाखा में बहुमत परीक्षण लागू करते हुए फैसला सुनाया कि अजित पवार का गुट ही असली एनसीपी है और इस गुट को पार्टी के लिए 'घड़ी' चिह्न का उपयोग करने की अनुमति दी।

'मराठा भूषण' सम्मान मुख्यमंत्री शिंदे, मनोज जरांगे और नरेंद्र पाटिल को...

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आरक्षण कार्यकर्ता मनोज चरांगे और मथाडी नेता नरेंद्र पाटिल को इस साल 'मराठा भूषण' से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान हर साल मराठा समुदाय की प्रमुख हस्तियों को दिया जाता है। आयोजकों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मराठा क्रांति मोर्चा के प्रमुख रमेश आंब्रे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि शिंदे, जरांगे और पाटिल को 19 फरवरी को शिव जयंती के मौके पर



ठाणे में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे जालना जिले में अपने गांव में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। इसलिए, उन्हें ऑनलाइन ही पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जरांगे शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

जरांगे विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर आंब्रे ने कहा कि सरकार ने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। देखते हैं कि बीस फरवरी को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में क्या होता है। यह पूछे जाने पर कि अगर वे सरकार से खुश नहीं हैं, तो उन्होंने पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री शिंदे को क्यों चुना, आंब्रे ने कहा कि उन्हें मराठा के रूप में सम्मानित किया जाएगा, न कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में।

मुख्यमंत्री ने कुत्ते को पीटे जाने का संज्ञान लिया

वहीं, मुख्यमंत्री शिंदे ने ठाणे में पालतू जानवरों के एक क्लिनिक में एक कुत्ते को बेरहमी से पीटे जाने की घटना को गंभीरता से लिया है। एक स्थानीय विधायक ने यह जानकारी दी। इससे पहले कुत्ते पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद असंजये (एनसी) शिकायत दर्ज की गई थी। विधायक प्रताप सरनाईक की ओर से एक विज्ञापित जारी की गई। जिसमें कहा गया है कि उन्होंने पुलिस से दो कर्मचारियों और पालतू जानवरों के क्लिनिक के मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आग्रह किया है।

'इंटरनेशनल' शादी, बैलगाड़ी पर दूल्हा देखने 9 मुल्कों से आए मेहमान

मुंबई: महाराष्ट्र के एक गांव की शादी काफी चर्चा में है. इस शादी को 'महाराष्ट्र की इंटरनेशनल शादी' कहा जा रहा है. दूल्हा महाराष्ट्र का, दुल्हन यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की और शादी में शिरकत करने वाले मेहमान अलग-अलग देशों से. बारात निकली, लेकिन दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ा. वो अपनी दुल्हन के साथ बैलगाड़ी पर नाचते-गाते

आया. फिर देसी रीति-रिवाज से दोनों शादी के बंधन में बंध गए. आजतक के विकास राजूरकर की रिपोर्ट के मुताबिक ये शादी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के सावली गांव में हुई. गांव के रहने वाले हेमंत आभारे इंजीनियर हैं. उन्हें ऑस्ट्रिया की रहने वाली यूडीथ से प्यार हुआ. बात आगे बढ़ी. दोनों के परिवार शादी के लिए राजी हुए. शादी

की तारीख तय हुई, 12 फरवरी. शादी का कार्ड छपवाया गया. रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया. बताया जा रहा है कि इस शादी में 9 देशों से मेहमानों ने शिरकत की. ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से दुल्हन और उसका परिवार पहुंचा. साथ में नीदरलैंड, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका सहित कई देशों से आए मेहमान सावली गांव पहुंचे.

मीरा भायंदर मनपा प्रशासक ने पेश किया सवा दो हजार करोड़ का आम बजट

भायंदर। मीरा भायंदर मनपा आयुक्त/प्रशासक संजय काटकर ने प्रारंभिक जमा राशि 23 लाख रुपए व पिछले बजट की तुलना में बेवजह खर्चों में कटौती करने के साथ 2024-25 का 2297.71 करोड़ रुपए का मनपा का आम बजट पेश किया।



गौरतलब है की पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट की रकम में 123 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इस बजट की कुछ विशेष बात यह थी कि प्रशासक ने जहाँ एक तरफ फिजूल खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश की है तो वहीं दूसरी

तरफ पुराने आय के प्रमुख स्रोतों पर ही निर्भर होकर उन्हें ही और बढ़ाने पर जोर दिया है। सरकार की अमृत 2.0 योजना व 15 वां वित्तीय आयोग एवं मूलभूत सुविधा अनुदान के तहत महत्वाकांक्षी सूर्या प्रकल्प व भूमिगत गटर के लिए 629

करोड़ 3 लाख का अनुदान मिला है, तो वहीं सीसी रोड, बीएसयूपी योजना के लिए एमएमआरडीए के 387 करोड़ रुपए अनुदान को मिला कर अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए कर्ज लेने की भी तैयारी भी कर रखी है। गौरतलब है की मनपा

विशेष बात :

1. महापालिका के प्रमुख आय के स्रोत मालमत्ता कर, विकास शुल्क, सेवा कर, पानी कर, अग्निशमन, जाहिरात एवं सड़क खुदाई शुल्क से लगभग 960 करोड़ रुपए की आमदनी का लक्ष्य रखा हुआ है।
2. नाले सफाई का बजट पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपए था अतः इसमें कटौती करते हुए इस वर्ष 3 करोड़ 67 लाख रुपए किया गया है।
3. वाक विथ कमीशनर कार्यक्रम का बजट 3 करोड़ रुपए से शून्य किया गया।
4. आरोग्य, शिक्षण व स्वच्छता का त्रिसुत्रीय कार्यक्रम को प्रमुखता से पूर्ण करना।
5. प्रशासकीय कामकाज व सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारना।

आयुक्त/प्रशासक ने इस बजट में कुछ नया नहीं किया है वरन मनपा की मुख्य योजनायें मिलने वाली

सरकारी अनुदान पर ही टिकी हुई है, अलबत्ता प्रशासक संजय काटकर ने कुछ विभागों से कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए

मनुष्य बल को कम करके व अन्य फिजूल खर्चों को नियंत्रित करने के लिए सराहनीय कदम उठाया है।

...अब चर्चगेट-अंधेरी धीमे रूट पर चलेगी 15 कोच वाली लोकल !

मुंबई : रेलवे यात्रियों की भीड़ से राहत पाने के लिए पश्चिम रेलवे ने अंधेरी और चर्चगेट के बीच प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और धीमे रूट पर भी 15 लोकल कोच चलाने का फैसला किया है। पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल के मंडल प्रबंधक नीरज वर्मा ने गुरुवार को आयोजित 'मेरा टिकट मेरा ईमान' प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मीडिया को बताया है कि एक सर्वेक्षण किया गया है और एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिमी रेलवे लाइन पर लोकल डिब्बों से यात्रा करनी पड़ती थी, जहां हमेशा भीड़ रहती थी और असहनीय होती थी। इतना ही नहीं, पिछले साल स्थानीय इलाके में सीटों को लेकर यात्रियों के बीच झड़प की घटनाएं भी बढ़ी थीं। इस पृष्ठभूमि में, पश्चिम रेलवे ने पिछले साल उपनगरीय स्थानीय सेवाओं में बैठने की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया था।



मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। पश्चिम रेलवे मंडल प्रबंधक नीरज वर्मा ने बताया कि इसमें करीब 400 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पश्चिमी रेलवे पर पहली 12 कोच वाली लोकल 1986 में चली थी। इसके बाद 2006 में पहली 15 कोच वाली लोकल यात्री सेवा में आई। अंधेरी-विरार के बीच भीड़भाड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने इन दोनों स्टेशनों के बीच धीमे रूट पर पंद्रह लोकल कोच चलाने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ा दी है। फिर 28 जून 2021 को पंद्रह कोच के 25 फेरे शुरू किये गये।

होने के कारण यह पंद्रह कोच वाली लोकल फेरी अंधेरी और चर्चगेट के बीच सबसे तेज रूट पर चल रही है। ऐसे में धीमे रूट के यात्रियों को भीड़ का सामना करते हुए सफर करना पड़ रहा है। फिलहाल अंधेरी और विरार के बीच 15 लोकल कोच धीमे रूट पर चलते हैं। हालांकि, पश्चिम रेलवे की ओर से अंधेरी से चर्चगेट स्लो रूट पर भी पंद्रह कोच वाली लोकल ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है।

400 करोड़ रुपये का परिव्यय पश्चिम रेलवे ने अंधेरी और चर्चगेट के बीच 15 डब्बा लोकल को धीमे रूट पर भी चलाने का फैसला किया है। इस संबंध में पश्चिम रेलवे ने स्लो लाइन के सभी प्लेटफॉर्म का सर्वे कराया है। इस सर्वे में किस स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जा सकती है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। बोर्ड की अनुमति

इसके मुताबिक बारह कोच की लोकल को 15 कोच की लोकल में तब्दील कर दिया गया। वर्तमान में पश्चिम रेलवे पर 15 डिब्बों की 199 लोकल ट्रेनें चलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कम

मुंबई हवाई अड्डे पर नहीं मिली व्हीलचेयर... पैदल चलने से 80 वर्षीय बुजुर्ग यात्री की मौत !

मुंबई : मुंबई हवाई अड्डे पर एअर इंडिया के 80 वर्षीय यात्री ने व्हीलचेयर मांगी, लेकिन व्हीलचेयर का इंतजाम नहीं हो पाया। बुजुर्ग यात्री को पैदल ही चलना पड़ा। पैदल चलने से बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई, बताया जा रहा है कि आब्रजन प्रक्रिया के दौरान हालांकि गिरने से उसकी मौत हो गई, यह घटना 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से एअर इंडिया की उड़ान से यात्री के उतरने के बाद हवाई अड्डे पर हुई। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि यात्री की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी। एअर इंडिया ने एक बयान में कहा कि व्हीलचेयर की भारी मांग के कारण उसने यात्री से एयरलाइन स्टाफ-सहायता वाली व्हीलचेयर की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया था



लेकिन व्यक्ति ने व्हीलचेयर पर बैठों अपनी पत्नी के साथ पैदल चलने का विकल्प चुना। एयरलाइन ने कहा, "एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले हमारे यात्रियों में से एक अपनी पत्नी के साथ आब्रजन प्रक्रिया पूरी करने के दौरान बीमार पड़ गए, उनकी पत्नी व्हीलचेयर पर थीं।" एयरलाइन ने कहा कि बीमार पड़ने के

बाद व्यक्ति का उपचार कर रहे हवाई अड्डे के चिकित्सक की सलाह के अनुसार यात्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एअर इंडिया के अनुसार वह शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। एयरलाइन ने कहा कि व्हीलचेयर की पूर्व-बुकिंग करने वाले सभी यात्रियों को व्हीलचेयर सहायता प्रदान करने के बारे में उसकी स्पष्ट निर्धारित नीति है। मुंबई हवाई अड्डा संचालक एमआईएएल के एक अधिकारी ने कहा कि व्हीलचेयर सहायता पूरी तरह से एयरलाइन द्वारा दी जाने वाली सेवा है।

धनगर समाज को ST वर्ग से कोई आरक्षण नहीं! बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

मुंबई : धनगर समुदाय की मांग थी कि एसटी वर्ग से आरक्षण दिया जाए, इस बीच धनगर आरक्षण याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले पर प्रदेश के पूरे धनगर समाज की नजर थी, इस बीच याचिका खारिज होना धनगर समाज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।



पिछले कई दिनों से धनगर समुदाय को एसटी वर्ग से आरक्षण दिए जाने की याचिका पर सुनवाई चल रही थी।

जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जस्टिस पटेल और जस्टिस कमल खाता की पीठ ने फैसला सुनाया कि हम इस तरह के आरक्षण के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हमें धनगर समुदाय को एसटी से आरक्षण देने का कोई अधिकार नहीं है। यह पूर्ण अधिकार संसद और संसद का है। यह आरक्षण

संसद के माध्यम से कानून में संशोधन करके ही दिया जा सकता है। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने एसटी से आरक्षण देने संबंधी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस बीच हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी का ध्यान इस बात पर है कि धनगर समुदाय, याचिकाकर्ता और नेता अगला कानूनी रुख क्या अपनाएंगे।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर 8 , मदीना मेशन, ८9 ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सपप नं 7977408589: Email-editor@rookthoklekhaninews.com